फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ

अनवान :– **सरिता आदि बनाम धर्मपाल आदि**

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट प्रकरण सं0** 92 **/ 2020**

तारीख हुकम	कार्यवाही विवरण
24.12.2020	अपील जरिये अभिभाषक न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए तहसीलदार नोहर के प्रकरण संख्या 3353 आदेश दिनांक 28/09/2020 की पालना आगामी आदेश तक स्थगित रखी जावे एवं रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें । रेस्पोडेन्ट की तलबी व अपीलाधीन रिकार्ड तलब करने हेतु पत्र जारी कर पत्रावली दिनांक 27.01.2021 को पेश हो। 24/12/2020 (नारायण सिंह चारण) अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर
27.01.21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली दि० 12.02.2021 को पेश हो
12.2.2021	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अवकाश पर हैं पत्रावली दि० 3.3.2021 को पेश हो
3.3.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलांट रैस्पोन्डेंट की तलबी बकाया। रिकार्ड प्राप्त [illegible]। पत्रावली दिनांक 18.3.2021 को पेश हो।
5-3.2021	वकील अपीलांट के प्रा.पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलांट ने प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसका रैस्पो० के साथ राजीनामा हो चुका है। अतः अपीलांट प्रस्तुत अपील को चलाना नहीं चाहते हैं। अपील खारिज फरमावें। अतः अपीलांट के चलाना नहीं चाहने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील के दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official